रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/97

REGD. NO. D. L.-33004/97

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 126] नई दिल्ली, शुक्रवार, जून 27, 1997/आषाढ़ 6, 1919
No. 126] NEW DELHI, FRIDAY, JUNE 27, 1997/ASADHA 6, 1919

रसायन और उर्वरक मंत्रालय

(रसायन और पेट्रो-रसायन विभाग)

संकल्प

नई दिल्ली, 27 जून, 1997

सं. 7 (1)/96-डी. पी. ई. ए.— रसायन और उर्वरक मंत्रालय में रसायन और पेट्रो-रसायन विभाग ने तारीख 21 मार्च, 1994 के संकल्प सं. 23(2)/93-पी.आई.-I के द्वारा प्रपुंज औषध और सूत्रयोगों की बिक्री के लिए औषध कंपनियों द्वारा 1981 से 1987 के बीच (औषध) कीमत नियंत्रण (आदेश, 1979 के लागू रहने तक) अधिक मूल्य वसूली से उत्पन्न हुई देयताओं से संबंधित संपूर्ण मामले की समीक्षा करने के लिए एक तीन सदस्यीय समिति का गठन किया है । दिनांक 16 दिसम्बर, 1996 के संकल्प संख्या 7(1)/96-डी.पी.ई.ए. के द्वारा समिति के अवधि 20 जून, 1997 तक बढ़ाई गई थी । कार्य के हित में उक्त समिति का कार्यकाल 20 जून, 1997 के पश्चात् एक वर्ष की अवधि के लिए अर्थात् 20 जून, 1998 तक बढ़ाया जाता है ।

2. समिति बढ़ाए गए कार्यकाल में अपना काम पूरा करेगी और बढ़ाए गए कार्यकाल के अन्दर सरकार को अपनी सिफारिशें प्रस्तुत करेगी ।

आदेश

आदेश दिया जाता है कि सर्वसाधारण की जानकारी के लिए इस संकल्प को भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाए ।

एस.के. सूद, संयुक्त सचिव, (डी.पी.ई.ए.)

MINISTRY OF CHEMICALS AND FERTILIZERS

(Department of Chemicals and Petrochemicals)

RESOLUTION

New Delhi, the 27th June, 1997

No. 7(1)/96-DPEA:—The Department of Chemicals and Petrochemicals in the Ministry of Chemicals and Fertilizers have constituted a Three Member Committee to review the entire matter relating to liabilities arising out of prices charged by the drug companies for the sale of bulk drug and formulations between 1981 to 1987 [till the Drugs (Prices Control) Order, 1979 remained in force] vide Resolution No. 23 (2)/93-PI. 1 dated the 21st March, 1994. The tenure of the said Committee was extended upto 20th June, 1997, vide Resolution No. 7(1)/96-DPEA dated 16th December, 1996. In the interest of work, the tenure of the said Committee is extended for a further period of one year beyond 20th June, 1997 i.e. upto 20th June, 1998.

2. The Committee should complete its task and submit its recommendations to the Govt. within the extended tenure.

ORDER

Ordered that the Resolution be published in the Gazette of India for general information.

S.K. SOOD, Jt. Secy. (DPEA)

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054 — 1997